भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3184
दिनांक 06 अगस्त, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सी.जी.एच.एस. संपूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एल.सी. की नियुक्ति

3184. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सी.जी.एच.एस. सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रों में मांग की गई आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति के लिए अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (ए.एल.सी.) की नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं और सी.जी.एच.एस. सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त किए गए ए.एल.सी. की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति के लिए नियुक्त अधिकांश ए.एल.सी. एक सप्ताह के बाद भी मांग की गई दवा की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार के पास ए.एल.सी. द्वारा मांग की गई दवा आपूर्ति करने में विफल रहने पर प्रस्तुत किए गए बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दिशानिर्देश हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि ए.एल.सी. मांग की गई दवा देने में विफल होने पर बिल जमा करने के कई महीनों बाद तक दिल्ली में सीजीएचएस कार्डधारकों को राशि की प्रतिपूर्ति नहीं कर रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार)

(क) : प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों (एएलसी) को ऑनलाइन आदेशित आयुर्वेदिक औषधियों की आपूर्ति के लिए ई-टेंडर्स की प्रक्रिया के माध्यम से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत पैनलबद्ध किया जाता है। बोलीकर्ताओं की पात्रता सुनिश्चित करने के मानदंड **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं। संविदा का पंचाट उन बोलीकर्ताओं को किया जाता है जो सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य पर अधिकतम छूट अंकित करते हैं। वर्तमान में सीजीएचएस के तहत दिल्ली/एनसीआर तथा बैंगलुरू, कर्नाटक प्रत्येक में एक-एक एएलसी आयुर्वेदिक औषधियों की आपूर्ति हेतु पैनलबद्ध हैं।

(ख) से (घ): पैनलबद्ध एएलसी के साथ की गई संविदा की शर्तों के अनुसार, यदि आपूर्तिकर्ता मांगी गई औषधियों की अनुपलब्धता के कारण आपूर्ति करने में विफल रहता है तो सीजीएचएस लाभार्थी उस औषधि को दूसरे कैमिस्ट से खरीदने के लिए पात्र होगा और आपूर्तिकर्ता सीजीएचएस/लाभार्थी द्वारा भुगतान किए गए सम्पूर्ण मूल्य की प्रतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा।

दिल्ली में आयुर्वेदिक औषधियों की आपूर्ति करने के लिए मात्र एक एएलसी है। संबंधित आरोग्य केन्द्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया है । एएलसी के साथ मामला उठाया है। एएलसी ने भविष्य में औषधियों की आपूर्ति को कारगर बनाने का आश्वासन दिया है और निर्धारित अवधि के अंदर आर्पूत नहीं की गई औषधियों की लागत का लाभार्थियों को भुगतान किए जाने के लिए भी सहमत हो गया है। लगातार चूक के मामले में संविदा प्रावधानों के अनुसार समुचित कार्रवाई की जा सकती है।

******

अनुलग्नक –I

सीजीएचएस के तहत प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों के रूप में पैनलबद्धता हेतु बोलीकर्ताओं की पात्रता स्थापित करने हेतु मानदंड

(i) आपूर्तिकर्ता के पास बोलीकर्ता के नाम में सामान्य प्रयोजन के व्यवसाय के लिए अपेक्षित बिक्री कर/वैट/जीएसटी तथा अन्य आवश्यक लाइसेंसों जैसे वैध लाइसेंस होने चाहिए।

(ii) विज्ञापन के जारी होने की तिथि के पश्चात खरीदे गए 10/- रुपये के नॉन – ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित एक शपथपत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि फर्म/स्वामी को किसी भी विषय में किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है।

(iii) बोलीकर्ता (कैमिस्ट) की पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान आयुर्वेदिक औषधियेां की बिक्री से औसत वार्षिक बिक्री न्यूनतम 20 लाख रुपए होनी चाहिए। बोलीकर्ता को अपने दावे के समर्थन में उपर्युक्त को दर्शाते हुए लाभ एवं हानि लेखा, लेखापरीक्षित तुलन पत्र जैसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए।

(iv) संबंधित एसटीओ(बिक्री कर अधिकारी)/वैट/जीएसटी इत्यादि से पिछले दो वर्ष के बिक्री कर/वैट/जीएसटी पंजीकरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(v) फर्म/बोलीकर्ता को आबंटित टिन एवं पैन की प्रति।

(vi) बोलीकर्ता को बोली की निबंधन और शर्तों को अवश्य ही समझना एवं उनसे सहमत होना होगा। निविदा स्वीकृति पत्र की अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित प्रति को अपलोड किया जाना चाहिए। निविदा स्वीकृति पत्र में बोलीकर्ता का नाम, डाक का पूरा पता, टेलीफोन एवं मोबाइल नम्बर, फैक्स तथा ई-मेल दर्शाया जाना चाहिए।

(vii) बोलीकर्ता को वर्तमान में किसी सरकारी संगठन अथवा सीजीएचएस द्वारा विवर्जित नहीं किया जाना चाहिए । आपूर्तिकर्ता की संविदा को पिछले तीन वर्षों के दौरान सीजीएचएस द्वारा समाप्त नहीं किया गया हो। बोलीकर्ता द्वारा नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक शपथपत्र अपलोड किया गया हो जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि (क) आपूर्तिकर्ता को सीजीएचएस सिहत किसी भी सरकारी संगठन द्वारा वर्तमान में विवर्जित नहीं किया गया है, (ख) आपूर्तिकर्ता को सीजीएचएस द्वारा पूर्व में पैनलबद्ध नहीं किया गया था तथा यदि पूर्व में पैनलबद्ध किया गया हो तो आपूर्तिकर्ता की संविदा को सीजीएचएस द्वारा पिछले तीन वर्षों में समाप्त नहीं किया गया था।

(viii) बोली तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह विनिर्दिष्ट करना चाहिए कि उसने निम्न के रूप में हस्ताक्षर किए हैं:

(क) फर्म के एकमात्र स्वामी अथवा ऐसे स्वामी के नियुक्त एटर्नी

(ख) फर्म के एक हिस्सेदार, यह एक हिस्सेदारी फर्म है तथा इस मामले में उसके पास हस्ताक्षर करने, उत्तर देने तथा मध्यस्थता के लिए विवादों को भेजने हेतु स्वीकार करने का प्राधिकार होना चाहिए।

(ग) नियुक्त प्रतिनिधि/अधिकृत हस्ताक्षार्थ यदि यह एक कंपनी है।